केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
18, Institutional Area, SaheedJeet Singh Marg,
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no.26858570, फैक्स/FAX 26524580
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.co

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा.11029/2016/केविसं(मु.)/उपायुक्त (शै0)/विविध/212452 **दिनांकः 19.09.2016**

27

उपायुक्त,
केन्द्रीय विद्यालया संगठन,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।

विषय :- प्राइवेट ट्यूशन में लिप्त शिक्षकों के विरूद्ध शिकायत।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय को अभिभावकों से कई शिकायतें मिली हैं कि केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन कक्षाएँ चलाई जा रही हैं। यह एक गंभीर मामला है और हमारे कुछ अध्यापकों द्वारा किए जा रहे अनाधिकृत ट्यूशन **करने के व्यवसाय को रोकने के लिए** तत्काल योजनबद्ध तरीके से कार्रवाई की जानी है ।

केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 59 में अनुबंधित है कि "कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन अथवा प्राइवेट रोजगार अथवा इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में लिप्त नहीं होगा"। एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए अध्यापकों की सत्यनिष्ठता की कमी और उनके द्वारा किए जा रहे इस प्रकार अनैतिक व्यवहार से शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में अड़चने पैदा होती है। प्राइवेट ट्यूशन से सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में बाधा आती है। ऐसे संदिग्ध पहलुओं में पाठ्यचर्या की मुख्य धारा में भ्रांतियां, युवा छात्र-छात्राओं में दबाव और ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा परीक्षा से पूर्व अपने ट्यूशन के छात्रों को प्रश्न-पत्र इत्यादि देने संबंधी अनुचित लाभ जैसी समस्या होती है तथा ऐसे मामलों में उन छात्रों को प्रायोगिक/आंतरिक परीक्षाओं इत्यादि में अधिक अंक भी दिए जाते हैं। इससे उन अभिभावकों के आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ता है जो शिक्षा-प्रणाली पर विश्वास रखते हैं। संक्षेप में यह कहना है कि ट्यूशन से संबंधित मामलों की शिकायतों को सतर्क होकर उनकी जांच करनी आवश्यक है और अपने स्तर पर इष्टतम तरीके से कड़ाई से इनका निपटान करना आवश्यक है ।

(8) विद्यालयों में काउन्सेलरर्स की सेवाओं का न्यायपूर्वक उपयोग विद्यार्थियों को अच्छे अध्ययन करने की तकनीक, मानसिक दबाव को दूर करने और अच्छे भविष्य के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन देने के लिए किया जाए।

नि:संदेह, ज्ञान अर्जन में उत्कृष्टता, सीखने तथा योग्यता प्राप्त करने की ललक हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करने में लाभकारी होते हैं। यह तभी संभव है जब

I. प्राचार्य/ शिक्षक कक्षाओं का नियमित तथा औचक पर्यवेक्षण करें।

II. गृह कार्य/ कक्षा कार्य की मानिटरिंग रैनडम ढंग से किया जाए और विद्यार्थियों अथवा शिक्षकों की ओर से हो रही लापरवाही को तदनुसार निपटाया जाए।

III. सीखने की कला को गति प्रदान करने तथा लिखावट को सुन्दर बनाने को आम व्यवहार में लाने पर ज़ोर दिया जाए । इस उद्देश्य के लिए, निदानात्मक कक्षाएं विद्यालय समय के बाद/ अवकाश के दौरान / छुट्टियों इत्यादि में जब भी आवश्यकता हो, आयोजित की जाए ।

केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा के क्षेत्र में गति निर्धारण का कार्य करता है और जब हमारे शिक्षकों के विरुद्ध ट्यूशन की शिकायतें आती है, तो हमारे संगठन के सम्मान को क्षति पहुँचती है जो सम्मान विगत पाँच दशकों में कठिन मेहनत के बाद हमनें प्राप्त किया है । अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप अपने अधीन सभी विद्यालयों को उक्त निर्देशों की जानकारी तत्काल दें तथा इसका कड़ाई से अनुपालन करवाएँ तथा अपने स्तर पर ऐसी घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखें।

भवदीय

(यू॰एन॰खवाड़े)
अपर आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि

1. श्री डी॰के॰डी॰ राव, उप-सचिव (यूटी) मा॰सं॰वि॰मं, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. आयुक्त के निजी सचिव, केविसं, नई दिल्ली।
3. संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), केविसं (मु॰), नई दिल्ली।
4. उपायुक्त (ईडीपी), केविसं (मु॰) नई दिल्ली।